FORM NO III APP-A Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम

किस्म मुकदमा ——— नम्बर 125 सन् 2019

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की ... जारी हुए
29.3.19	यह प्रार्थना पत्र श्री शिव प्रकाश चौधरी एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा को दिनांक 30.11.2018 को वाद निर्णित होने से अपील सारहीन हो जाने के कारण अपील को खारिज किये जाने के कारण अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.के तहत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक प्रार्थी श्री राकेश अरोड़ा को दी। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सलंग्न दस्तावेजात व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा. दी. स्वीकार होने से वाद को पुनः नम्बर पर लिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा मूल वाद दिनांक 28.10.2015 को खारिज होने से अपील को सारहीन होने से खारिज कर दिया गया, चूँकि मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होकर अपील पुनः नम्बर लिये जाने योग्य है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	